

From

The Director General,
Treasuries & Accounts Department,
Haryana, Chandigarh.

To

Joint Director,
Data Management Cell,
Treasuries & Accounts Department,
Haryana, Chandigarh.

Memo No. TA-HR (SO)2017/ 8998 Dated: 2/12/17

Subject:- **Annual Administrative Report of Treasuries and Accounts Department Haryana for the Year 2015-16.**

Please refer to Supdt. Cabinet for Secretary, Council of Minister Haryana letter No. U.O.No.9/279/2017-2 Cabinet, Dated Chandigarh, 27th September, 2017, which is forwarded by Additional Chief Secretary of Government Haryana FD Vide No. 14/32/2017-5F.A dated 03.11.2017. (copy attached)

You are requested to publish the Administrative report of Treasuries & Accounts Department for year 2015-16 on departmental website.

Enclosure:-As above

129

Flying Squad Officer,
Treasuries & Accounts Department,
Haryana, Chandigarh.

JD (Pues)

2/12/17

Prganes

निदेशक खजाना एवं लेखा विभाग हरियाणा की प्रशासकीय रिपोर्ट:-

खजाना एवं लेखा विभाग सरकार के लेन-देन का प्राथमिक रिकार्ड रखने के लिए एक मूलभूत वित्तीय यूनिट है। वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान खजाना एवं लेखा संगठन का प्रशासनीय नियंत्रण वित्त विभाग, हरियाणा के अधीन रहा है। राज्य की जनता तक खजानों की सुविधा उपलब्ध करना तथा बजट प्रवधान पर नियंत्रण रखना इस विभाग का प्राथमिक कार्य है। इसके लिए विभाग द्वारा वित्तीय सहायता एवं एन आई सी के माध्यम से संमेकित वित्तीय प्रबंधन एवं मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली चलाई है। जिसके फल स्वरूप विभाग को राष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। इस प्रणाली के दो संभाग हैं:

1. संमेकित वित्तीय प्रबंधन एवं मानव संसाधन प्रबंधन। प्रथम संभाग के उद्देश्य को प्राप्त कर लिया गया जबकि दूसरे संभाग के उद्देश्यों को शीघ्र प्राप्त करने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं।

वर्ष 2015-16 के दौरान निदेशक खजाना एवं लेखा संगठन के विभागध्यक्ष रहे हैं। संगठन में तीन सुंयुक्त निदेशक, दो उप निदेशक, एक उडन दस्ता अधिकारी, एक कोषाधिकारी (मु0), दो प्रोग्रामर, एक सहायक जिला न्यायवादी, तीन अधीक्षक, दो लेखाअधिकारी, चार अनुभाग अधिकारी कार्यरत हैं। विभाग के उप-संभाग के रूप में लेखा प्रशिक्षण संस्थान व पेंशन वितरण कोष्ट पंचकूला में अवस्थित हैं। इसके अतिरिक्त राज्य में 21 कोषाधिकारी एवं 84 सहायक कोषाधिकारी जिलों में कार्यरत हैं। जिनके द्वारा सरकारी लेन-देन बैंकों के माध्यम से किया जाता है।

खजाना विभाग के कम्प्यूटराईजेशन का लक्ष्य पूर्णतः प्राप्त कर दिया गया है। सरकार के देय सभी क्लेमों को खजाना में प्रस्तुत किया जाता है जहां पर पूर्ण परीक्षण का कार्य विभाग के विभिन्न वित्तीय प्रबंधन योजनाओं के माध्यम से किया जाता है और यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि यह क्लेम ठीक है और वित्तीय विभाग और सरकार द्वारा समय-समय पर जारी की गई हिदायतों के अनुसार है। प्रारंभिक लेखों को रखने तथा प्राप्ति व खर्च को सरकार की ओर से निर्धारित लेखा शीर्ष में वर्गीकरण का कार्य भी इस विभाग के अन्य कार्यों में आता है। राज्य की मासिक और वार्षिक विवरणी को तैयार करने के लिए प्रत्येक खजाना द्वारा मासिक वर्गीकृत लेखा, महालेखाकार हरियाणा को भेजा जाता है।

31 मार्च 2016 को निदेशालय एवं खजाना संगठन में राजपत्रित/अराजपत्रित अधिकारी/ कर्मचारियों की संख्या निम्न प्रकार से थी:-

कं.सं.	स्वीकृत	भरा हुआ	खाली	कुल
संयुक्त निदेशक	3	3	0	3
उड़न दस्ता अधिकारी	1	0	1	1
उपनिदेशक	2	0	2	2
प्रोग्रामर	2	2	0	2
लेखा अधिकारी	2	2	0	2
कोषाधिकारी	22	17	5	22
नेटवर्किंग इंजीनियर	1	0	1	1
अधीक्षक	3	1	2	3
अनुभाग अधिकारी	4	3	1	4
सहायक	170	111	59	170
स्टैनो	3	0	3	3
सहायक जिला न्यायवादी	1	1	0	1
सहायक कम अवर डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	21	0	21	21
सहायक अधीक्षक कोषाधिकारी	23	1	22	23
सहायक खजांची	77	44	33	77
सहायक खजाना अधिकारी	84	34	50	84
लिपिक	273	138	135	273
चालक	3	3	0	3
दफ्तरी	7	4	3	7
सेवादार	145	62	83	145
चौकीदार	32	8	24	32
कुल	879	434	445	879

बजट व्यवस्था:-

खजाना तथा लेखा विभाग हरियाणा के वर्ष 2015-16 के मूल बजट में कुल रु 408617000 (रुपये चालीस करोड छियासी लाख सतरह हजार केवल) की राशि की व्यवस्था की गई जिसमें से रु 850000000 (रुपये पचासी करोड केवल) प्लान तथा रु 323617000 (रुपये बत्तीस करोड छत्तीस लाख सतरह हजार केवल) नॉन प्लान शीर्षों के अन्तर्गत रखे गये। वर्ष 2015-16 दौरान बजट व्यवस्था एवं व्यय का ब्यौरा परिशिष्ट 'क' पर दिया गया है।

विभाग द्वारा चलाये गए विभिन्न ई गर्वनेन्स कार्यक्रम/ योजनाएं:-

1. ई-ग्रास (E-GRAS) :-

सरकार की सभी प्रकार की प्राप्तियों एवं उसका लेखा केन्द्रीकृत स्तर पर तैयार करने के लिए e-Gras (Govt. Receipt and Accounting System) 2013 से राज्य में लागू है। सरकार की सभी प्रकार की प्राप्तियों का लेखा केन्द्रीकृत स्तर पर तैयार करने हेतु साइबर खजाना की स्थापना चण्डीगढ़ खजाने में की गई है जो प्रत्येक माह सरकारी प्राप्तियों का लेखा तैयार कर महालेखाकार हरियाणा को ऑनलाईन एवं फिजिकल रूप में भेजती है। e-GRAS का समन्वय राज्य के मुख्य विभागों जैसे- HPSC, HSSC बिक्री एवं कर विभाग, इत्यादि के साथ किया गया है। प्रत्येक नागरिक किसी भी प्रकार की प्राप्ति को नकद डेबिट/ क्रेडिट कार्ड एवं ई-बैंकिंग के माध्यम से e-GRAS पर चलान बनाकर पांच बैंकों -एस. बी.आई, एस.बी.ओ.पी, आई.डी.बी.आई, सी.बी.आई, व पी.एन.बी के भारतवर्ष के किसी भी शाखा में जमा करा सकता है।

2. ई-स्टाम्पिंग (e-Stamping):-

वित्तीय वर्ष 2015-16 में विभाग द्वारा इलेक्ट्रॉनिक स्टाम्पिंग की शुरुआत की गई थी। जिसमें अन्तर्गत फिजिकल नॉन-जुडीशियल स्टम्प की जगह आनलाईन स्टाम्पिंग शुरू की गई थी। इसमें अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति सम्बन्धित बैंक से पैसा जमाकर कभी भी ऑनलाईन स्टैम्प बना सकता है जिसका प्रयोग रेवेन्यू विभाग में सम्पत्ति रजिस्ट्रेशन एवं अन्य रूप में किया जा सकता है।

3. मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (HRMS):-

नियमित कर्मचारियों से संबंधित सभी प्रकार के सर्विस पुस्तिका, गोपीनय रिपोर्ट, छुट्टियाँ, स्थानान्तरण एसी.पी इत्यादि के ऑनलाईन डाटा के रख-रखाव हेतु मानव प्रबंधन प्रणाली साफ्टवेयर का विकास किया गया है। वर्तमान में खजाना व लेखा विभाग, स्माल सेविंग विभाग, लोकल आडिट एवं योजना विभाग का डाटा सफलता पूर्वक साफ्टवेयर में फीड किया जा चुका है। अन्य सभी विभागों को इसके लिए खजाना विभाग द्वारा समय-समय पर हिदायते जारी की जा रही है ताकि समय बद्ध तरीके से राज्य के सभी कर्मचारियों का संपूर्ण डाटा स्थानान्तरित किया जा सके। खजाना लेखा विभाग को इस कार्य हेतु नॉडल विभाग नियुक्त किया गया है।

4- ई-पोस्टिंग (E-posting):-

सभी विभागों में किसी भी प्रकार नये पदों के सृजन हेतु एवं अन्य पदों के समाप्त/सरेण्डर करने हेतु, ई-पोस्ट सोफ्टवेयर की संरचना की गई है। जिस की शुरुआत मई 2014 से कर दी गई है। खजाना लेखा विभाग द्वारा सफलता

पूर्वक ई-पोस्ट में डाटा स्थानान्तरित कर दी गई। सभी विभागों के ई.सी.ए/ ई.सी.ओ/ डी.डी.ओ. को इसके लिए समय-समय पर ट्रेनिंग की व्यवस्था इस विभाग द्वारा की जाती रही है। जब किसी विभाग द्वारा अपने अनुमोदित पदों एवं वर्तमान संख्या का विवरण अंतिम रूप में भर कर वित्त विभाग को भेजा जाता है तो इसे पूर्णतया फ्रीज कर दिया जाता है। इस व्यवस्था के तहत किसी भी विभाग द्वारा पदों की रिपोर्ट को देख कर नए पदों के सृजन/समर्पण/स्थानान्तरण हेतु किया का समय एक निश्चित मानक के तहत निश्चित समय में किया जा सकता है। यह व्यवस्था किसी विभाग को मासिक/वार्षिक वित्तीय विवरण भी तैयार करने में सहायक है।

5. ई-पेंशन (E-pension):-

ई-पेंशन प्रणाली का विकास विभाग द्वारा 10/2012 से किया गया था जिसके तहत सरकारी सेवा से निवृत्त सभी पेंशनरों की रेगुलर पेंशन एकीकृत रूप से "पेंशन वितरण कोष्ठ" द्वारा की जा रही है। इसके अलावा अन्य पेंशन लाभ जैसे कि मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति उपदान पेंशन रूपान्तरण अदायगी, एल.टी.सी आदि का भुगतान इसी प्रणाली के तहत खजाना कार्यालयों द्वारा की जा रही है। इसी प्रणाली के तहत विभिन्न बैंकों में रख गए तकरीबन 1.5 लाख पेंशन भुगतान आदेश पत्र (पी.पी.ओ) को चरणबद्ध तरीके से खजानों में स्थानान्तरित किया जा रहा है। जिसका अंतिम लक्ष्य दिसंबर 2017 तक रख गया है। मार्च 2016 से अब तक करीब 55 हजार पेंशनरों की पेंशन भुगतान इसी प्रणाली द्वारा की जा रही है। इसके अतिरिक्त सेवानिवृत्त कर्मचारियों की सुविधा हेतु विभाग द्वारा आधार कार्ड से जीवन प्रमाण पत्र को जोड़ा गया है। अब सेवानिवृत्त कर्मचारी को भौतिक रूप से खजानों में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। बायोमेट्रिक प्रणाली के तहत कोई भी पेंशनर अपना जीवन प्रमाण किसी भी सरकारी एंजसी (खजाना व उप खजाना, कोमन सर्विस सेन्टर इत्यादि) एवं निजी स्तर पर भी नियमानुसार दर्ज कर सकता है।

6. ऑनलाईन बजट वितरण, नियंत्रण एवं तैयारी प्रणाली:-

यह प्रणाली 4/2010 से इस विभाग द्वारा बजट प्रबंधन हेतु शुरू की गई थी। इस प्रणाली के लागू होने से पूर्व बजट प्रबंधन में कई प्रकार की खामिया थीं जैसे कि समय एवं सही अकाउंट हेड में बजट का आदान वितरण अधिकारी/खजाना अधिकारियों तक नहीं पहुंचना जिसके कारण हमेशा या तो तय समय से देरी या अधिक भुगतान की आशंका रहती थी। कई अवसर पर विभागों द्वारा वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित बजट से ज्यादा वितरण कर दिये जाते थे जिसके उपर नियंत्रण संभव नहीं था। ऑनलाईन बजट प्रणाली द्वारा सभी खामियों पर नियंत्रण रखा जाना संभव बनाया गया है। अब बजट का वितरण शीघ्र ही सभी विभागों को एवं विभागों द्वारा डी.डी.ओ को कर दिया जाता है। अब डी.डी.ओ द्वारा अनुमोदित बजट से अधिक रकम का भुगतान नहीं किया जा सकता है। इस प्रणाली में बजट तैयार करने की भी व्यवस्था की गई है। जिसके

तहत डी.डी.ओ बजट तैयार कर ऑनलाईन अपने नियंत्रक अधिकारी एवं विभागध्यक्ष को निश्चित समय सीमा में भेजा जा सकता है। इसी प्रणाली के तहत वित्त विभाग द्वारा अपने व्यय पर भी नियंत्रण रखा जा सकता है।

7- ई-बिलिंग (E-billing):-

आदान वितरण अधिकारी द्वारा सभी प्रकार के बिलों को ऑनलाईन तैयार कर खजानों में प्रस्तुत करने हेतु इस प्रणाली का विकास किया गया है। 4/2012 से प्रथम अवसर पर वेतन बिलों को इस पद्धति से बनाना आरंभ किया गया था। 4/2013 से इस पद्धति द्वारा सभी प्रकार के बिलों के लिए कर दिया गया है। इस प्रणाली द्वारा प्रत्येक माह लगभग 1.50 लाख बिल बनाये जाते हैं और खजानों में प्रस्तुत किए जाते हैं। इस प्रणाली से डी.डी.ओ एवं खजाने स्तर पर बिलों को बनाने एवं पास करने की प्रक्रिया को बहुत आसान एवं त्वरित बना दिया है। अब बिलों के माध्यम से भुगतान किसी भी बेनिफिशरी के खाते में शीघ्र जमा करवाना संभव हो पाया है। इस प्रणाली के अंतर्गत विभाग द्वारा 2015-16 में ई-टीडीएस की सुविधा विस्तारित की गई है। अब सभी डी.डी.ओ को ई-टीडीएस की फाइल प्रत्येक क्वार्टर में बनाने की सुविधा, बिना सी.ए की सहायता से प्रदान की गई है। डी.डी.ओ द्वारा ई-टीडीएस की फाइल को 40 रु की मामूली रकम दे कर आयकर विभाग की साईट पर अपलोड करवाया जा रहा है। इस प्रकार पूरे राज्य में इस प्रणाली को लागू होने से करोड़ों रुपये की बचत की जा रही है जोकि सी.ए को प्रदान की जाती रही है।

8. ऑनलाईन ट्रेजरी इन्फॉर्मेशन सिस्टम (OTIS):-

इस प्रणाली के तहत जुलाई 2013 से वेब ओटिस का विस्तार किया गया है जिसके तहत सभी खजानों/ उप खजानों को बैंक एवं महालेखाकार के कार्यालय से समेकित किया गया है। विद्वान प्रबंधन के तहत ओटिस (OTIS) को अन्य प्रणाली जैसे कि ऑनलाईन बजट, ई-बिलिंग इत्यादि से जोड़ दिया गया है। इसके फलस्वरूप सभी प्रकार के बिलों का भुगतान अब बिना बजट की उपलब्धता के अलावा वित्त विभाग की अनुमोदन के बिना तय मानक के उपर के रकम के बिल खजानों द्वारा पास नहीं किया जा सकता है। अब ओटिस (OTIS) द्वारा ही मासिक लेखा तैयार कर महालेखाकार कार्यालय को भेजा जा रहा है। बैंकों द्वारा भी वेब ओटिस (Web OTIS) का प्रयोग कर भुगतान आदेशों के तहत भुगतान किये जा रहे हैं। ओटिस प्रणाली में निम्नलिखित कार्य भी किये जाते हैं:-

(a) e-Stocking

इस प्रणाली में विभिन्न प्रकार के स्टाम्प की गणना, रख रखाव एवं बिक्री हेतु ई-सटोकिंग e-Stocking का विस्तार किया गया है। खजानों द्वारा अब किसी भी प्रकार के स्टाम्प की बिक्री हेतु इन्डेंट बनाकर डबल लोक से स्टाम्प की बिक्री की जाती है। इस प्रणाली को ई-ग्रास e-Gras से जोड़ा गया है।

(b) इसी तहत ओटिस में राष्ट्रीय पेंशन योजना (एन.पी.एस) के तहत कर्मचारियों/ अधिकारियों के बिलों द्वारा काटे गए एन.पी.एस राशि का रिपोर्ट तैयार कर एन.एस.डी.एल को खजानों द्वारा समयबद्ध तरीकों से भेजा जाता है।

9. विभाग की अन्य उपलब्धियाँ:-

विभाग द्वारा समेकित वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के तहत शुरू किये गये विभिन्न योजनाओं/ प्रणाली के लिए निम्नलिखित पुरस्कार राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त हो चुके हैं:-

1. समेकित वित्तीय प्रबंधन प्रणाली हेतु राज्य सरकार को सी.एस.आई निलहिट (CSI- Nihilent) सर्वोत्तम अवार्ड 2015 में दिया गया है।
2. ई-पेंशन में जीवन प्रमाण के शुरूआत करने हेतु वित्त विभाग को स्कॉच ग्रुप द्वारा सबसे कुशल शासन के खिताब से नवाजा गया है।

10. बजट एवं व्यय

Directorate of Treasuries & Accounts Department, Haryana, Chandigarh			
Budget and Expenditure of FY 2015-16			
Sr. No.	Name of the Scheme	Approved Budget (2015-16)	Expenditure (2015-16)
1	N-51-06-2054-51-003-99-51-R-V Accounts Training Institute - N.A.	4715000	4276921
2	N-51-06-2054-51-095-97-51-R-V Creating of employee and pension data base with Thirteenth Finance Commission Grant - N.A.	550000	251246
3	N-51-06-2054-51-095-97-51-R-V Creating of employee and pension data base with Thirteenth Finance Commission Grant - N.A.	25000000	24965861
4	N-51-06-2054-51-095-99-98-R-V Headquarter Staff - Establishment Expenses	34100000	32655065
5	N-51-06-2054-51-095-99-99-R-V Headquarter Staff - Information Technology	50000	0
6	N-51-06-2054-51-097-99-98-R-V Treasury Staff - Establishment Expenses	253733000	251750493
7	N-51-06-2054-51-097-99-99-R-V Treasury Staff - Information Technology	4168000	4167114
8	N-51-06-2054-51-800-99-98-R-V Provision for State budget Preparation Exercise & Control - Establishment Expenses	101000	100492
9	N-51-06-2071-01-117-99-98-R-V Defined contributory Pension Scheme of Haryana - Government Contribution to Mahatma Gandhi Swavlamban Pension Scheme	1200000	1166750
Total		323617000	319333942
10	P-01-06-2054-51-095-96-51-N-V Integrated Finance and Human Resource Management Information System - NA	30001000	4459384
11	P-01-06-2054-51-095-99-99-N-V Headquarter Staff - Information Technology	14998000	6120852
12	P-01-06-2054-51-097-98-51-N-V Provision of Basic Infrastructure in the Treasuries/Sub-Treasuries for congenial working condition in the public interest - NA	20000000	0
13	P-01-06-2054-51-097-99-98-N-V Treasury Staff - Establishment Expenses	20000000	13436942
14	P-01-06-2054-51-097-99-99-N-V Treasury Staff - Information Technology	1000	0
Total		85000000	24017178
Grand Total		408617000	343351120

11. चौकसी विभाग से संबंधित जानकारी:-

वर्ष 2015-16 के दौरान श्री महेश चंद शर्मा, अनुभाग अधिकारी श्री रामानन्द, अनुभाग अधिकारी, सतबीर सिंह, सहायक, श्री कन्हैया लाल, जिला खंजाची तथा महेन्द्र सिंह सैनी, वरिष्ठ ले० अ०, श्री वी.के. गान्धी, वरिष्ठ ले० अ०, श्री सुमेर चंद पाल, अनुभाग अधिकारी, नरेश बंसल, मुख्य लेखा अधिकारी के विरुद्ध चौकसी विभाग में कार्यवाही लम्बित थी।

12. केन्द्रीय पेंशन वितरण शाखा:-

पेंशन कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिए पेंशन वितरण शाखा का गठन वित्त विभाग के पत्र क्रमांक 14/33/2013-5F। दिनांक 05-12-2013 द्वारा किया गया जिसके तहत राज्य के सभी सेवानिर्वत कर्मचारियों व अधिकारियों के पेंशन वितरण का कार्य किया जा रहा है। वर्ष 2015-16 के दौरान यह कार्य सुचारु रूप से चल रहा है। हरियाणा में खजानों एवं उप खजानों में अक्टूबर 2012 से ई-पेंशन प्रणाली की शुरुआत हुई। अक्टूबर 2012 से 31.03.2016 तक कुल 54625 पेंशनर इस प्रणाली में रजिस्टर्ड हुए जिन्हें ई-पेंशन प्रणाली के माध्यम से खजाना/उप-खजाना/पी०डी०सी० द्वारा मासिक पेंशन का भुगतान सीधा पेंशनरों के बैंक अकाउंट में किया गया। इसके अलावा बैंकों से भी लगभग 1.50 लाख पेंशनरों को ई-पेंशन प्रणाली द्वारा वापिस खजाना/उपखजाना/पी०डी०सी० में स्थानान्तरित किया जा रहा है। वित्तिय वर्ष 2015-16 में खजाना/उप-खजाना में नए 14810 पेंशनर सम्मिलित हुए तथा उन्हें ई-पेंशन प्रणाली द्वारा पेंशन प्रदान की गई। इसके अलावा 2386 पेंशनरों को बैंकों से स्थानान्तरण के उपरान्त खजाना/उप-खजाना/पी०डी०सी० द्वारा पेंशन प्रदान की गई है। इस प्रकार वर्ष 2015-16 में कुल $14810 + 2386 = 17196$ नए पेंशनर उपरोक्त माध्यम से ई-पेंशन प्रणाली में शामिल हुए। तथा एक ही जगह से एक ही बिल द्वारा राज्य में सभी पेंशनधारकों के खाते में पेंशन ऑन लाईन ट्रांसफर की जाती है। जो कि अगले वर्ष भी चालू रहेगी।

13. लेखा प्रशिक्षण संस्थान (ए.टी.आई):-

वर्ष 2015-16 के दौरान लेखा प्रशिक्षण संस्थान द्वारा 423 अधिकारी/कर्मचारी इस संस्थान द्वारा लेखा कोर्स में प्रशिक्षित हुये। विभागों को वित्तीय प्रबंधन हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया गया जिसमें राज्य के विभिन्न कर्मचारी, अधिकारी, आहरण एवं वितरण अधिकारी शामिल हुए। यह कार्य प्रति वर्ष चालू रहता है।

14. निष्कर्ष:-

खजाना तथा लेखा विभाग वित्त विभाग के अधीन राज्य सरकार के वित्तीय प्रबंधन तथा हरियाणा अधिनस्थ लेखा सेवा संवर्ग के संस्थापन तथा नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है। खजाना तथा लेखा विभाग एक ऐसी संस्था है जो यह विश्वास दिलाता है कि धन राशि उचित प्राधिकार एवम वित्तीय औचित के सिद्धांत पर प्राप्त एवम व्यय की गई है। यह सार्वजनिक धन के दुप्रयोग को रोकने में भी सहायता प्रदान करता है।

मैं यह कहते हुए प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूँ कि विभिन्न कठिनाईयों के होते हुए भी खजाना तथा लेखा विभाग एवम कार्यपालिका में सोहार्दपूर्ण सम्बंध रहे। यह विभाग राज्य के सभी कोषालयों/ उप-कोषालयों पर तकनीकी एवम वित्तीय नियंत्रण रखता है। विभिन्न विभागों के बजट एवम कोष कार्यालयों की कार्य प्रणाली को पारदर्शी करने के उद्देश्य से एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली का संचालन किया जा रहा है। इस प्रणाली के सुचारु पूर्वक संचालन में विभिन्न विभागों का योगदान सराहनीय रहा है। उनके द्वारा सुधार लाने एवम त्रुटियों का समाधान करने हेतु दिए गए सुझावों को सहर्ष स्वीकार किया गया है। मुझे आशा है कि एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली का संचालन करने के दौरान खजाना विभाग द्वारा प्रयोग में लाए गए विभिन्न उप-प्रणाली को विभिन्न विभागों द्वारा पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और खजाना तथा लेखा विभाग इस दिशा में सुधार लाने हेतु सदैव तत्पर रहेगा।

मैं इस विभाग में संयुक्त निदेशकों, उप-निदेशकों खजाना तथा लेखा विभाग के अन्य अधिकारियों तथा उनके साथ कार्यरत अमले के प्रति आधार प्रकट करता हूँ जिन्होंने अपना कार्य सदभावपूर्ण प्रयत्नों एवम कर्तव्य निष्ठा से किया और पूर्व वर्षों की तुलना में 2015-16 में अच्छे परिणाम दिए।

मैं उच्च अधिकारियों का धन्यवादी हूँ जिन्होंने खजाना एवम लेखा विभाग में कार्य में इस विभाग के अमले को समय-समय पर उचित मार्ग दर्शन, सहायता एवम सुरक्षा प्रदान की।


(सुनील सरन)

महानिदेशक
खजाना एवम लेखा विभाग,
हरियाणा, चण्डीगढ़